0 (ख) स्वीकृत लागत एंव निर्माण तिथियों इत्यादि को दर्शाती परियोजनाओं की सूची अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र सं.45]

(ग) जी नहीं, आगे कार्यान्वित नहीं किये जा सकने वाली परियोजनाओं की पहचान के लिए पुनर्प्राथमिक-करण की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Indo-Canadian Trade Ties

1096. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether steps have been taken by Government for the expansion of Indo-Canadian trade ties;

(b) if so, the number of deals signed with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government encourages Chambers of Commerce, Industry Associations, Export Promotion Councils, Commodity Boards etc. to take business delegations, organise buyer-seller meets, participate in each other's trade fairs and exchange business information with the Canadian Counterparts. In recent past, there have been high level visits from Canada including the visit of Canadian Prime Minister with large business delegation in January, 1996; visit of Mr. Roy Mac Laren, Canadian Minister for International Trade in October, 1994 and visit of Mr. Robert Huget, Minister for International Trade, Government of Ontario in February, 1995.

(b) and (c) As per DGCI & S, the position regarding trade with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 has been as follows:

(Value in Rs. Crores)

Year	Exports	Imports	Balance of Trade	Bilateral Trade
1993-94	714.65	735.69	(-) 21.04	1450.34
1994-95	836.30	822.02	(+) 14.28 (-	1658.32
1995-96 (Upto Dec.)	738.76	864.19	)125.43	1602.95

The statistics on the number of deals signed is not maintained.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के लिए कोयला

1097. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपने विभिन्न उपक्रमों के जरिए प्रतिवर्ष कितनी-मात्रा में और किस दर से नान कोकिंग कोल समेत कोयला भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को उपलब्ध कराया जाता है,

(ख) क्या आपूर्ति की जा रही कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है जिसके लिए प्राधिकरण ने सी.आई.एल. को कोयले की गुणवत्ता को सुधारने पर अधिक कीमत देने की पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार के एक उपक्रम द्वारा इसके दूसरे उपक्रम के साथ इस तरह की कार्यवाही का औचित्य क्या है और इस तरह की कार्रवाई का औचित्य क्या है और इस तरह की प्रयोगात्मक कार्रवाई से दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) कोल इंडिया लि.(को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटे "सेल" को प्रेपण दिये गये कोयले की कुल मात्रा जिसमें अकोकर कोयला भी शमिल है, 12.56मिलियन टन किया गया था। चालू मूल दर जिस पर कि "सेल" को कोयला बेचा जाता है उसे नीचे दर्शाया गया है,